बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

बुधवार, तिथि १८ सितम्बर, १९६३।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि १८ सितम्बर, १९६३ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

सभा नियमावली के नियम "८९" के अनुसार प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा मेज पर रखा जाना।

श्री दीनानारायण सिंह—महाशय, मैं तृतीय बिहारविधान-सभा के चतुर्थ सत्र (फरवरी-अप्रील), १९६३ के शेष ५६७ अतारांकित प्रश्नों में से १२३ प्रश्नों के लिखित उत्तरों को सभा की मेज पर रखता हूं।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

पटना म्यूजियम को फटी छत की मरम्मत।

३। श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या सरकार का ध्यान पटने से प्रकाशित हिन्दी दैनिक के दिनांक ३० अगस्त १९६३ के अंक में प्रकाशित "पटना म्यूजियम की फटी छत साल भर बाद भी नहीं बनी" शीर्षक समाचार की ओर गया है ;

(२) छत फटने का पता म्यूजियम के भार-साधक अधिकारी को कब लगा और उन्होंने इसकी मरम्मत के लिये क्या कदम उठाया ;

(३) अभी वस्तुस्थिति क्या है और सरकार इस संबंध में क्या करना चाहती है ?

श्री कमलदेव नारायण सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) पटना म्यूजियम के कार्यकारी अध्यक्ष ने म्यूजियम की छत फटने की सूचना दिनांक ४ अप्रील १९६३ को कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय अंचल, लोक-निर्माण विभाग को दिया। उसके बाद उन्होंने दिनांक १५ अप्रील, १९६३, १९ अप्रील, १९६३, २५ मई, १९६३, ३ जुलाई, १९६३ एवं ३१ जुलाई, १९६३ को स्मार-पत्र भी दिया। सरकार के पुरातत्व-विभाग ने भी मुख्य-अभियंता, लोक-निर्माण विभाग से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध २५ अप्रील १९६३ को किया। मुख्य-अभियंता, लोक-निर्माण विभाग ने २० मई, १९६३ को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिये कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय-अंचल को एक अर्द्ध-सरकारी पत्र लिखा।

(३) दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ से लोक-निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया गया जो अभी जारी है।

(३) यह बात सही नहीं है। सही बात यह है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास ग्राम-पंचायत से प्राप्त सभी मुकदमों में आवश्यक आदेश में दिया गया है जैसा कि खंड (१) के उत्तर से स्पष्ट है।

(४) संबंधित ग्राम-पंचायतों को लंबित आवेदन पत्रों की जांच शीघ्र पूरा करके उन्हें आवश्यक आदेशार्थ अंचल कार्यालय में भेजने के हेतु लिखा जा रहा है।

दाखिल-खारिज की दरखास्त।

१०१। श्री जयकुमार सिंह—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सहर्षा जिलान्तर्गत सिंघेश्वर प्रखंड में सरपंचों की अन्तिम जांच तथा रिपोर्ट के बाद दाखिल-खारिज की दरखास्त को पुनः कर्मचारी और अंचल निरीक्षक से जांच और रिपोर्ट करवाया जाता है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गयी है;

(२) क्या यह बात सही है कि कई जगह जांच करने के कारण दाखिल-खारिज के कामों में देर लगती है जिससे सरकार के राजस्व वसूली में भी देर लगती है;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस संबंध में कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है?

श्री महेश प्रसाद सिंह—(१) उत्तर नकारात्मक है।

(२) पंचायत द्वारा जांच एवं प्रतिवेदन देने के पश्चात् दाखिल-खारिज अभिलेख का निस्तार अंचलाधिकारी द्वारा शीघ्र ही कर दिया जाता है। शीघ्रातिशीघ्र निस्तार के लिए कैम्प कोर्ट का भी आयोजन किया जाता है। गत चन्द सप्ताहों में डेढ़ हजार के करीब दाखिल खारिज के अभिलेखों का निस्तार हुआ है।

(३) उपरोक्त खंडों में निहित उत्तर के आधार पर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

लगान में छूट।

१०२। श्री युवराज —क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि मनिहारी प्रखंड (पूर्णियां) अन्तर्गत मौजा मिरजापुर बधार, कांटाकोस के अधिकांश भाग गंगशिकस्त हो गये हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि गंगशिकस्त जमीन की लगान माफी की दिशा में विकास पदाधिकारी, मनिहारी ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है;

(३) क्या यह बात सही है कि नदियों में जमीन के कट जाने से या कटाव के फलस्वरूप किसानों के खेत में रेत हो जाने पर राजस्व विभाग द्वारा सम्बन्धित जमीन की मालगुजारी में पूरी छूट दी जाती है;